

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 228670

पटना, दिनांक 17-04-2015

ग्रा.वि.-14(म0)न0-02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

निबंधित

श्री विजय कुमार,
तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रजौली, नवादा।
सम्प्रति उप विकास आयुक्त, गया।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नवादा से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप रजौली प्रखंड (जिला-नवादा) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के जापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।


4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
1112.17	₹ 1413172.80/-

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 1112.17 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि की वसूली की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(प्रदीप कुमार)
16.4.15
सचिव

under NREGA and SGRY NFFWP. In this regard, the Government has decided to give more than 100 days of employment which is permissible under the Act.

3. The incomplete works under the SGRY NFFWP, if any, will be allowed to be completed upto 30.6.2006 out of the balance funds available with the Districts.

4. Under the NREGA, only cash will be given. As such no foodgrains will be provided. The foodgrains authorization should terminate with the close of this financial year. Lifting of foodgrains authorized during the current year under the SGRY and the NFFWP will not be allowed next year.

5. If employment is allotted on a demand made under NREGA then wage employment should be made in cash only. This is to prevent any possible challenging of the quantum of wages paid.

6. The implementation of works under the SGRY consists 50% for Gram Panchayats. This is in consonance with the spirit of the MGNREGS. The remaining 50% of works under NREGA can be executed by the Gram Panchayats, and other Gramin bodies. Thus, under SGRY, the allocation of 50% of works to Gram Panchayats and 50% to Gramin bodies is in consonance with the spirit of the Act. In view of the Government's policy to encourage Gram Panchayats in implementing NREGA. Under the NFFWP implementation, the Government has decided to give more than 100 days of employment which is permissible under the Act. In the context of the MGNREGS, the Government has decided to give more than 100 days of employment which is permissible under the Act. In the context of the MGNREGS, the Government has decided to give more than 100 days of employment which is permissible under the Act.

7. The SGRY and the NFFWP will be closed with the end of this financial year. There would be a budget head only for the SGRY.

8. In light of the above, please request the concerned departments to take necessary steps to ensure the smooth functioning of the SGRY and NFFWP. The Government may also be intimated to this Ministry.

Yours faithfully,

सिद्धार्थ सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग

(Anita Sharma)
Joint Secretary

दिनांक 20/05/06 / उपविभागाध्यक्ष, दिनांक- 20/05/06

प्रतिलिपि, नवी उप विकास आयुक्तों को अनुसूचित सहित सूचनाय एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार उप सचिव ।

जिला का नाम:- नवादा

जिला परिषद:- नवादा

क्रम सं०	उप विकास आयुक्त का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसुली गई राशि	समतुल्य राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	कै० एन० मल्लिक, भा० प्र० से०	26940.74	16633.43	10307.31	1159742.1	12961272.6
2	श्री मुकेश कुमार सिंह, बि० प्र० से०					
3	श्री सिकन्दर शर्मा, बि० प्र० से०					

पंचायत समिति/ प्रखंड स्तर पर:-

क्रम सं०	प्रखंड	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसुली गई राशि	समतुल्य राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नवादा सदर	कमलेश कुमार सिंह	9154.78	2644.59	6510.19	201000	8717960.3
2	सिरदल्ला	सत्येन्द्र कुमार मिश्र	7245.89	4760.15	2485.74	0	3405463.8
3	अकबरपुर	शिवेन्दु रंजन	2340.98	1622.47	718.51	207856.4	776502.3
4	नारदीगंज	अरविन्द कुमार झा	1599.65	1465.71	133.94	30016.7	153481.1
5	हिसुआ	शत्रुघन कामती	3084.18	2513.28	570.9	360764	421369
6	गोविन्दपुर	रमेश शर्मा	521.52	510.9	10.62		14549.4
7	मेसकौर	अपूर्व कुमार मधुकर	579	122	457	0	626090
8	रजौली	विजय कुमार	5140.25	4028.08	1112.17	110500.1	1413172.8
9	वारिसलीगंज	अमरेन्द्र कुमार सिन्हा	4829.35	2304.39	2524.96	847976	2611219.2
10	कौआकोल	अवधेश राम	4227.22	3330.95	896.27	2050	1225839.9
11	पकड़ी बरावां	रामाश्रय कुमार	1487.75	1275.97	211.78	57328	232810.6
12	रोह	रामगोपाल पाण्डेय	4240.18	1671.2	2568.98	464838.2	3054664.4